पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 306/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 01.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सिधारी: चोरी गये एक म्यूजिक सिस्टम व 01 कार की एलसीडी के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2024 को वादी नीरज कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम0 रोशनपुर पो0 सेमा तहसील सदर जिला आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के कार संख्या जे0एच0 05 ए0एल0 0001 जो गैरेज पर खड़ी कार में से म्यूजिक सिस्टम एवं अन्य सामान चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0355/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा किया जा रहा है |

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 01.10.2024 को उ0नि0 प्रशिक्षु विधनेश वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र शमसुद्दीन खान निवासी मोहल्ला रामलीला मैदान ,हाईडिल चौराहा सिधारी , थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास 01 एक अदद म्यूजिक सिस्टम तथा 01 अदद कार की एलसीडी बरामद हुआ | पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.09.2024 को देवब्रत हास्पिटल के पास गैराज में खडी कार से रात में चोरी किया गया | गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 82/2023 धारा 60 EX ACT थाना सिधारी आजमगढ़ |
02. मु0अ0सं0 114/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ |
03. मु0अ0सं0 418/2023 धारा 380/411/457 IPC थाना सिधारी आजमगढ़ |
04. मु0अ0सं0 0355/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़ |

02.थाना-मुबारकपुरः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2024 को पीड़िता उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा अभियुक्त शाकिब नईम पुत्र शौकत अली निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरीक सम्बन्ध बनाया गया एवं शादी करने से इनकार करना तथा पीड़िता द्वारा पूछने पर अभियुक्त साकिब के मामा नबी अहमद व नबी अहमद के भाई व अन्य दो महिलाओं द्वारा मिलकर मार पीट कर भगा दिया गया, के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 388/2024 धारा 69/115(2)/351(2) भा0न्याय0सं0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 01.10.2024 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शाकिब नईम पुत्र शौकत अली निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को उसके घर ग्राम नेवादा से समय करीब 10.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।